मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 17/04/2018

क्रमांक एफ 02–02/2017/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन द्वारा मंत्रि–परिषद् निर्णय दिनांक 21.03.2018 के अनुसरण में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 12 अगस्त 2013 द्वारा जारी नीति "मध्यप्रदेश राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ के सेवायुक्तों को राज्य शासन के विभिन्न विभागों मे "संविलियन योजना" अनुसार मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल के कर्मचारियों का निम्नानुसार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर उनके नाम के सामने अंकित पद एवं वेतनमान में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने क दिनांक से संविलियन निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है:–

क्र.	नाम	तिलहन संघ में		विभाग में संविलियन हेतु रिक्त पद एवं छठवां वेतनमान		संविलियन उपरांत नवीन पदस्थापना
		धारित पद	वेतनमान (चौथा वेतनमान)	पद	वेतनमान	
1	श्री जैनेन्द्र कुमार जैन	उप प्रबंधक (वित्त)	3000–100–3500 –125–4500	प्रशासकीय अधिकारी	15600–39100 + ग्रेड पे 5400	म0प्र0 जैव प्रौद्योगिकी परिषद् भोपाल
2	श्री दिलीप बागड़े	वरिष्ठ सहायक	1400–40–1440–50–2340	संगणक (कम्प्यूटर)	5200–20200+ ग्रेड पे 2100	संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल
3	श्री डी.पी. लेवे	वरिष्ठ सूचना सहायक	1400–40–1440–50–2340	संगणक (कम्प्यूटर)	5200–20200+ ग्रेड पे 2100	संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल
4	श्री जी.पी. दुबे	वरिष्ठ सहायक	1400–40–1440–50–2340	संगणक (कम्प्यूटर)	5200–20200+ ग्रेड पे 2100	संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल
5	श्री प्रशांत मेहता	कार्मिक सहायक	1600–50–2300–60–2720	संगणक (कम्प्यूटर)	5200–20200+ ग्रेड पे 2100	म0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल
6	श्री प्रणेश वारिज	वरिष्ठ सूचना सहायक	1400–40–1440–50–2340	संगणक (कम्प्यूटर)	5200–20200+ ग्रेड पे 2100	म0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल
7	श्रीमती अनीता शर्मा	लेखा सहायक	1600–50–2300–60–2720	संगणक (कम्प्यूटर)	5200–20200+ ग्रेड पे 2100	म0प्र0 राज्य एड्स भोपाल नियंत्रण समिति
8	श्री रजनीश दुबे	लेखा सहायक	1400–40–1440–50–2340	संगणक (कम्प्यूटर)	5200–20200+ ग्रेड पे 2100	म0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल
9	श्री पंकज पागे	वरिष्ठ सूचना सहायक	1400–40–1440–50–2340	संगणक (कम्प्यूटर)	5200–20200+ ग्रेड पे 2100	म0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल
10	श्री अतुल त्रिपाठी	सहायक ग्रेड–3	950–25–1000–30–1210–40–1530	सहायक ग्रेड–3	5200–20200+ ग्रेड पे 1900	म0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल
11	श्री ओमप्रकाश सिंह धुर्वे	असिस्टेंड सुपरिटेंडेंट	1400–40–1440–50–2340	लेब सहायक	5200–20200+ ग्रेड पे 1900	संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल

//2//

1. वेतन का निर्धारणः–

(क) संविलियन की दिनांक को तिलहन संघ में प्राप्त होने वाला वेतन संविलियन पद के वेतनमान के न्यूनतम से कम है तो न्यूनतम पर।

(ख) तिलहन संघ में प्राप्त होने वाले वेतन के बराबर की प्रकम संविलियत पद के वेतनमान में है तो उसी प्रकम पर।

(ग) तिलहन संघ में प्राप्त वेतन संविलियत पद के वेतनमान के दो प्रकमों के बीच हो, तो निचले प्रकम पर तथा अन्तर की राशि व्यक्तिगत वेतन होगी। व्यक्तिगत वेतन की राशि का समायोजन आगामी वेतनवृद्धि में किया जायेगा।

(घ) संविलियत पद के वेतनमान में संबंधित सेवायुक्त की वेतनवृद्धि की तिथि राज्य शासन के नियमों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

(ड़) संविलियत सेवायुक्त उसके द्वारा संविलियत पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो मोह के अन्दर उक्त कंडिका क. 26 में दी गयी प्रकिया अनुसार वेतन निर्धारण हेतु परिशिष्ट (6) में निर्धारित प्रारूप में विकल्प दे सकेगा। निर्धारति अंतिम तिथि के बाद प्राप्त विकल्प स्वीकार नहीं होंगे।

2. वरिष्ठता का निर्धारण– संवलियत सेवायुक्त को संविलियत पद के संवर्ग में म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 12 (3) (ग) के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण निम्नानुसार होगाः–

(क) संविलियत सेवायुक्त उनकी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिये तिलहन संघ (चाहे वे प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हों अथवा तिलहन संघ में) में की गयी सेवा के लाभ के हकदार नहीं होंगे तथा ऐसे सेवायुक्त उनकी वरिष्ठता के मामले में नये प्रवेशार्थी के रूप में माने जायेंगे।

(ख) विशिष्ट संवर्ग के दो या दो से अधिक कर्मचारियों को किसी संवर्ग में अलग–अलग तारीखों को संविलियन किया गया है तो संबंधित विभाग में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वही रहेगी जो तिलहन संघ में थी, परन्तु इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी व्यक्ति को सीधी भर्ती के लिये न चुना गया हो।

(ग) संविलियत सेवायुक्त द्वारा तिलहन संघ में की गयी सेवा की अवधि को राज्य शासन के अधीन विभागों में संविलियन के उपरान्त समयमान वेतनमान की गणना के लिये नहीं जोड़ा जायेगा।

3. **अवकाश–** संविलियत सेवायुक्तों को राज्य शासन के नियमों के अनुसार अवकाश की पात्रता होगी। (तिलहन संघ की सेवा के दौरान Accumulated Leave Balances संविलियन के बाद Carry Forward नहीं होंगे। संविलियन के बाद शासन के नियमों के अनुसार अवकाश की गणना की जावेगी।)

4. अंशदायी पेंशन योजना 2005 का लागू होनाः–

(क) संघ के कर्मचारी के संविलियन दिनांक से शासन में दिनांक 01.01.2005 से प्रभावशील नवीन परिभाषित अंशदायी पेंशरन योजना प्रभावशील होगी तथा संविलियत संघ के सेवायुक्त को उक्त योजना के अंतर्गत शासित माना जाकर नियमानुसार सेवालाभों का भुगतान किया जावेगा (संविलियन उपरांत जी.पी.एफ. की पात्रता नहीं होगी)।

//3//

(ख) संविलियन के दिनांक से पूर्व की सेवावधि की ग्रेज्युटी की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा नहीं किया जायेगा।

(ग) संविलियत सेवायुक्त का तिलहन संघ की सेवाओं में धारणाधिकार उसके संविलियन हेतु प्रस्तावित पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक तक होगा।

(घ) दिनांक 12.08.2013 द्वारा जारी संविलियन की योजना की कंडिका 3.3 के अनुसार संविलियन आदेश प्राप्त होने के 15 दिवस की अवधि में परिशिष्ट (7) में निर्धारित प्रारूप मं शपथ पत्र देना होगा, निर्धारित समयावधि में संविलियन हेतु शपथ पत्र नहीं देने पर संबंधित कर्मचारी का संविलियन हेतु चयन निरस्त माना जायेगा।

उक्त पदों पर संविलियन के संबंध में वित्त विभाग के यू0ओ0 कमांक 776/819/17 दिनांक 11.05.2017 से सहमति प्राप्त की गयी है।

संविलियत सेवायुक्त कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत इसकी सूचना विभाग को देगा। उसी तिथि से उनका संविलियन विभाग में उक्त शर्तों के अधीन मान्य होगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. कमांक एफ 02–02/2018/सत्रह/मेडि–1 **भोपाल, दिनांक 17/04/2018**

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय ।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, म0प्र0 शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय।
5. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन जैव प्रौद्योगिकी परिषद् मंत्रालय।
6. महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर/भोपाल।
7. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्या0 मुख्यालय भोपाल।
8. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय भोपाल।
9. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन भोपाल।
10. जिला कोषालय अधिकारी, भोपाल।
11. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी...म0प्र0।

की ओर सूचनार्थ/ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

//Surjeet// office rel. order

... स्वास्थ्य सेवायें
... भवन भोपाल (म.प्र.)
28 JUL 2015
आवक क्रमांक 1324
हस्ताक्षर

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई, 2015

क्रमांक एफ 2–5/2014/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा मंत्रि–परिषद् निर्णय दिनांक 19 मई, 2015 के अनुसरण में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी–3–14/2013/1/3 दिनांक 12 अगस्त 2013 की शर्तों के तहत मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित से प्रतिनियुक्ति पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश एवं मध्यप्रदेश एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल) में कार्यरत निम्नांकित कर्मचारियों का संविलियन कॉलम क्र. 4 में अंकित पद/वेतनमान में करते हुए कॉलम–5 में पदस्थ करता है :–

क्र.	कर्मचारी का नाम	तिलहन संघ में धारित पद एवं वेतनमान	संविलियन का पद एवं छठवां वेतनमान	संविलियन उपरांत वर्तमान पदस्थापना
1	2	3	4	5
1.	श्री अमर सिंह	वरिष्ठ सूचना सहायक (चौथा वेतनमान 1400–2340)	सीनियर संगणक (कम्प्यूटर) अथवा सांख्यिकी अन्वेषक (कनिष्ठ) 5200-20200 + GP 2800	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रायसेन
2.	श्री सत्यव्रत शर्मा	वरिष्ठ सूचना सहायक (चौथा वेतनमान 1400–2340)	सीनियर संगणक (कम्प्यूटर) अथवा सांख्यिकी अन्वेषक (कनिष्ठ) 5200-20200 + GP 2800	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला ग्वालियर
3.	श्री महेन्द्र जैन	जूनियर स्टेनों हिन्दी (चौथा वेतनमान 1400–2340)	शीघ्रलेखक 5200-20200 + GP 2800	संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल
4.	श्री विजय सिंह पटेल	सहायक लेखाधिकारी (चौथा वेतनमान 1400–2340)	सीनियर संगणक (कम्प्यूटर) अथवा सांख्यिकी अन्वेषक (कनिष्ठ) 5200-20200 + GP 2800	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला हरदा
5.	श्री जय सिंह ठाकुर	कनिष्ठ सहायक (चौथा वेतनमान 950–1530)	स्टेनो टाइपिस्ट 5200-20200 + GP 1900	संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र., सतपुड़ा भवन, भोपाल
6.	श्री विजय देशमुख	कनिष्ठ सहायक (चौथा वेतनमान 950–1530)	सहायक ग्रेड–3 5200-20200 + GP 1900	संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र., सतपुड़ा भवन, भोपाल
7.	श्री प्रदीप परदेशी	सूचना सहायक (चौथा वेतनमान 950–1530)	सहायक ग्रेड–3 5200-20200 + GP 1900	संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र., सतपुड़ा भवन, भोपाल

Recd on 03/08/2015

8.	श्री मो. अनवर फारूकी	सूचना सहायक (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) (चौथा वेतनमान 950—1530)	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 5200-20200 + GP 1900	संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग, इंदौर
9.	श्री वेद प्रकाश परमार	सूचना सहायक (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) (चौथा वेतनमान 950—1530)	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 5200-20200 + GP 1900	संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग, इंदौर
10.	श्री धर्मेन्द्र सिंह	सूचना सहायक (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) (चौथा वेतनमान 950—1530)	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 5200-20200 + GP 1900	संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र., सतपुड़ा भवन, भोपाल
11.	श्री पी.सी. थामस	सूचना सहायक (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) (चौथा वेतनमान 950—1530)	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 5200-20200 + GP 1900	संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग, इंदौर
12.	श्रीमती नीलू जैन	सूचना सहायक (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) (चौथा वेतनमान 950—1530)	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 5200-20200 + GP 1900	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला उज्जैन
13.	श्री दिलीप कुमार बागडे	सूचना सहायक (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) (चौथा वेतनमान 950—1530)	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 5200-20200 + GP 1900	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला अशोकनगर
14.	श्री योगेश विष्ट	सूचना सहायक (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) (चौथा वेतनमान 950—1530)	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 5200-20200 + GP 1900	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बालाघाट
15.	श्री गौरी शंकर तिवारी	सूचना सहायक (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) (चौथा वेतनमान 950—1530)	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 5200-20200 + GP 1900	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बालाघाट
16.	श्री आनंद द्विवेदी	सूचना सहायक (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) (चौथा वेतनमान 950—1530)	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 5200-20200 + GP 1900	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सिंगरौली
17.	श्री दिलीप सिंह राठौर	सूचना सहायक (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) (चौथा वेतनमान 950—1530)	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 5200-20200 + GP 1900	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला ग्वालियर
18.	श्री राजेश जोशी	सूचना सहायक (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) (चौथा वेतनमान 950—1530)	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 5200-20200 + GP 1900	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दमोह

27/7/15

19.	श्री एच.एन. सोनी	सूचना सहायक (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) (चौथा वेतनमान 950–1530)	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 5200-20200 + GP 1900	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सागर
20.	श्री प्रफुल्ल मिश्रा	सूचना सहायक (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) (चौथा वेतनमान 950–1530)	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 5200-20200 + GP 1900	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला छिंदवाड़ा
21.	श्री सुनील कुमार चरडे	सूचना सहायक (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) (चौथा वेतनमान 950–1530)	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 5200-20200 + GP 1900	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला उज्जैन
22.	श्री सुरेन्द्र कुमार खरे	सूचना सहायक (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) (चौथा वेतनमान 950–1530)	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 5200-20200 + GP 1900	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला छिंदवाड़ा
23.	श्री पंकज कालगांवकर	सूचना सहायक (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) (चौथा वेतनमान 950–1530)	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 5200-20200 + GP 1900	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिवपुरी
24.	श्री विनीत विश्वकर्मा	सूचना सहायक (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) (चौथा वेतनमान 950–1530)	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 5200-20200 + GP 1900	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मंदसौर
25.	श्री संदीप सक्सेना	सूचना सहायक (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) (चौथा वेतनमान 950–1530)	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 5200-20200 + GP 1900	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मंदसौर
26.	श्री संतोष नगाइच	सूचना सहायक (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) (चौथा वेतनमान 950–1530)	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 5200-20200 + GP 1900	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला खण्डवा
27	श्री किशोर कुमार चतुर्वेदी	सूचना सहायक (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) (चौथा वेतनमान 950–1530)	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 5200-20200 + GP 1900	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला गुना
28	श्री अतुल श्रीवास्तव	सूचना सहायक (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) (चौथा वेतनमान 950–1530)	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 5200-20200 + GP 1900	संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग, इंदौर
29	श्री शैलेन्द्र सक्सेना	कनिष्ठ सहायक (चौथा वेतनमान 950–1530)	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 5200-20200 + GP 1900	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला अशोकनगर

2/7/11

30.	श्री अशोक कुमार महार	कनिष्ठ सहायक (चौथा वेतनमान 950–1530)	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 5200-20200 + GP 1900	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दमोह
31.	श्री योगेश गोयल	कनिष्ठ सहायक (चौथा वेतनमान 950–1530)	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 5200-20200 + GP 1900	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रतलाम
32.	श्री वेद प्रकाश मिश्रा	कनिष्ठ सहायक (चौथा वेतनमान 950–1530)	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 5200-20200 + GP 1900	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला खण्डवा
33.	श्री आदित्य नारायण करैया	कनिष्ठ सूचना सहायक (चौथा वेतनमान 950–1530)	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 5200-20200 + GP 1900	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला अशोकनगर

2/ उपरोक्त संविलियत कर्मचारियों की सेवाशर्ते निम्नानुसार होगी :–

1. वेतन निर्धारण :–

(क) संविलियन की दिनांक को तिलहन संघ में प्राप्त होने वाला वेतन संविलियत पद के वेतनमान के न्यूनतम से कम है तो न्यूनतम पर।

(ख) तिलहन संघ में प्राप्त होने वाले वेतन के बराबर की प्रक्रम संविलियत पद के वेतनमान में है तो उसी प्रक्रम पर।

(ग) तिलहन संघ में प्राप्त वेतन संविलियत पद के वेतनमान के दो प्रक्रमों के बीच हो, तो निचले प्रक्रम पर तथा अंतर की राशि व्यक्तिगत वेतन होगी। व्यक्तिगत वेतन की राशि का समायोजन आगामी वेतनवृद्धि में किया जायेगा।

(घ) संविलियत पद के वेतनमान में संबंधित सेवायुक्त की वेतनवृद्धि की तिथि राज्य शासन के नियमों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

(ड) संविलियत सेवायुक्त उसके द्वारा संविलियत पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो माह के अन्दर वेतन निर्धारण हेतु परिशिष्ट (6) में निर्धारित प्रारूप में विकल्प प्रस्तुत करें, निर्धारित अंतिम तिथि के बाद विकल्प स्वीकार नहीं होंगे।

2. वरिष्ठता का निर्धारण :–

(क) संविलियत सेवायुक्त उनकी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिये तिलहन संघ (चाहे वे प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हो अथवा तिलहन संघ में) में की गई सेवा के लाभ के हकदार नहीं होंगे तथा ऐसे सेवायुक्त उनकी वरिष्ठता के मामले में नये प्रवेशार्थी के रूप में माने जायेंगे।

(ख) विशिष्ट संवर्ग के दो या दो से अधिक कर्मचारियों को किसी संवर्ग में अलग–अलग तारीखों को संविलियन किया गया है तो संबंधित विभाग में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वही रहेगी जो तिलहन संघ में थी, परन्तु इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी व्यक्ति को सीधी भर्ती के लिये न चुना गया हो।

(ग) संविलियत सेवायुक्त द्वारा तिलहन संघ में की गई सेवा की अवधि को राज्य शासन के अधीन विभागों में संविलियन के उपरांत समयमान वेतनमान की गणना के लिये नहीं जोड़ा जायेगा।

२७/७/१५

3. अंशदायी पेंशन योजना 2005 का लागू होना :–

(क) संघ के कर्मचारी की संविलियन दिनांक से शासन में दिनांक 01.01.2005 से प्रभावशील नवीन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना प्रभावशाली होगी तथा संविलियत संघ के सेवायुक्त को उक्त योजना के अंतर्गत शासित माना जाकर नियमानुसार सेवालाभों का भुगतान किया जायेगा। (संविलियन उपरांत जी.पी.एफ. की पातत्रा नहीं होगी।)

(ख) संविलियन के दिनांक से पूर्व की सेवावधि की ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा नहीं किया जायेगा।

(ग) संविलियत सेवायुक्त का तिलहन संघ की सेवाओं में धारणाधिकार उसके संविलियन हेतु प्रस्तावित पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक तक होगा।

(घ) दिनांक 12.08.2013 द्वारा जारी संविलियन की योजना की कंडिका 3.3 के अनुसार संविलियन आदेश प्राप्त होने के 15 दिवस की अवधि में परिशिष्ट (7) में निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र देना होगा, निर्धारित समयावधि में संविलियन हेतु शपथ पत्र नहीं देने पर संबंधित कर्मचारी का संविलियन हेतु चयन निरस्त माना जायेगा। संविलियन के संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा, संविलियत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् अन्य पद पर संविलियन हेतु पात्र/हकदार नहीं होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

27/7/15

(डॉ. गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

पृष्ठा.कमांक एफ 2–5/2014/सत्रह/मेडि–1 भोपाल, दिनांक 27 जुलाई, 2015

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक/निज सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, साामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
5. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी एरिया, इंदौर।
6. परिसमापक, राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल।
7. स्टाफ ऑफीसर/निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

27/7/15

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर अग्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें,
3. अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश,
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश,
5. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश,
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश,
7. संबंधित श्री ....

   ....
8. स्टॉक फाईल/विभागीय जांच पटल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

27/7/15

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शाासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

:: **आदेश** ::

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई, 2015

क्रमांक एफ 2–5/2014/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा मंत्रि–परिषद् निर्णय दिनांक 19 मई, 2015 के अनुसरण में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी–3–14/2013/1/3 दिनांक 12 अगस्त 2013 की शर्तों के तहत मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित से प्रतिनियुक्ति पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश एवं मध्यप्रदेश एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल) में कार्यरत् श्री अनिल मित्तल, सहायक प्रबंधक (चौथा वेतनमान 2375–4125) का संविलियन वेतनमान 15600-39100 + GP 5400 में प्रशासकीय अधिकारी के सीधी भरती के पद पर, पद लोक सेवा आयोग की परिधि से अपवर्जित करते हुए संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल में पदस्थ करता है।

2/ उपरोक्त संविलियत हेतु सेवा की शर्ते सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 12 अगस्त, 2013 के अनुसार रहेगी :–

1. वेतन निर्धारण :–

(क) संविलियन की दिनांक को तिलहन संघ में प्राप्त होने वाला वेतन संविलियत पद के वेतनमान के न्यूनतम से कम है तो न्यूनतम पर।

(ख) तिलहन संघ में प्राप्त होने वाले वेतन के बराबर की प्रक्रम संविलियत पद के वेतनमान में है तो उसी प्रक्रम पर।

(ग) तिलहन संघ में प्राप्त वेतन संविलियत पद के वेतनमान के दो प्रक्रमों के बीच हो, तो निचले प्रक्रम पर तथा अंतर की राशि व्यक्तिगत वेतन होगी। व्यक्तिगत वेतन की राशि का समायोजन आगामी वेतनवृद्धि में किया जायेगा।

(घ) संविलियत पद के वेतनमान में संबंधित सेवायुक्त की वेतनवृद्धि की तिथि राज्य शासन के नियमों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

(ड) संविलियत सेवायुक्त उसके द्वारा संविलियत पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो माह के अन्दर वेतन निर्धारण हेतु परिशिष्ट (6) में निर्धारित प्रारूप में विकल्प प्रस्तुत करें, निर्धारित अंतिम तिथि के बाद विकल्प स्वीकार नहीं होंगे।

2. वरिष्ठता का निर्धारण :–

(क) संविलियत सेवायुक्त उनकी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिये तिलहन संघ (चाहे वे प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हो अथवा तिलहन संघ में) में की गई सेवा के लाभ के हकदार नहीं होंगे तथा ऐसे सेवायुक्त उनकी वरिष्ठता के मामले में नये प्रवेशार्थी के रूप में माने जायेंगे।

(ख) विशिष्ट संवर्ग के दो या दो से अधिक कर्मचारियों को किसी संवर्ग में अलग–अलग तारीखों को संविलियन किया गया है तो संबंधित विभाग में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वही रहेगी जो तिलहन संघ में थी, परन्तु इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी व्यक्ति को सीधी भर्ती के लिये न चुना गया हो।

(ग) संविलियत सेवायुक्त द्वारा तिलहन संघ में की गई सेवा की अवधि को राज्य शासन के अधीन विभागों में संविलियन के उपरांत समयमान वेतनमान की गणना के लिये नहीं जोड़ा जायेगा।

27/7/15

अप. संचा. (प्रशा.) जा.क्र. 4584
दिनांक 29/7/15

3. अंशदायी पेंशन योजना 2005 का लागू होना :–

(क) संघ के कर्मचारी की संविलियन दिनांक से शासन में दिनांक 01.01.2005 से प्रभावशील नवीन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना प्रभावशाली होगी तथा संविलियत संघ के सेवायुक्त को उक्त योजना के अंतर्गत शासित माना जाकर नियमानुसार सेवालाभों का भुगतान किया जायेगा। (संविलियन उपरांत जी.पी.एफ. की पातत्रा नहीं होगी।)

(ख) संविलियन के दिनांक से पूर्व की सेवावधि की ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा नहीं किया जायेगा।

(ग) संविलियत सेवायुक्त का तिलहन संघ की सेवाओं में धारणाधिकार उसके संविलियन हेतु प्रस्तावित पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक तक होगा।

(घ) दिनांक 12.08.2013 द्वारा जारी संविलियन की योजना की कंडिका 3.3 के अनुसार संविलियन आदेश प्राप्त होने के 15 दिवस की अवधि में परिशिष्ट (7) में निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र देना होगा, निर्धारित समयावधि में संविलियन हेतु शपथ पत्र नहीं देने पर संबंधित कर्मचारी का संविलियन हेतु चयन निरस्त माना जायेगा। संविलियन के संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा, संविलियत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् अन्य पद पर संविलियन हेतु पात्र/हकदार नहीं होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

27/7/15
(डॉ. गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन भोपाल (म.प्र.)
28 JUL 2015
आवक क्रमांक 1329

पृष्ठा.कमांक एफ 2–5/2014/सत्रह/मेडि–1 भोपाल, दिनांक 27 जुलाई, 2015

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक/निज सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, साामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
5. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी एरिया, इंदौर।
6. परिसमापक, राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल।
7. स्टाफ ऑफीसर/निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

---

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर अग्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें,

27/7/15

3. अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश,
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश,
5. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश,
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश,
7. संबंधित श्री ....
....
8. स्टॉक फाईल/विभागीय जांच पटल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

27/7/18

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल